राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या–3806/2018

किरण माली

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शिक्षा, राजसमन्द।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, खमनोर, नाथद्वारा।
5. पीईओ रा.उ.मा.वि. उठारडा, पंचायत समिति खमनोर, नाथद्वारा।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.04.2024

<u>उपस्थित :–</u>

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री पार्थ गुप्ता, विधिक प्रतिनिधि

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 19.09.2018 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी के संबंध में इस सेट–अप परिवर्तन किये जाने के उपरांत एवं काउंसलिंग उपरांत अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर ब्लाक खमनोर पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 22.10.2018 पारित कर अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 को स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2019 के द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में इस अपील में अपीलार्थी के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं है। यह अपील में वर्ष 2018 से लंबित है। चूंकि अपील स्थानांतरण से संबंधित है और अपीलार्थी ने जिस स्थानांतरण आदेश को इस अपील में चुनौती दी है, जिसे पारित हुये करीब 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में हम अपीलार्थी के संबंध में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2018 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।
2. इस अपील की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) राजसमंद को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)